



2026:AHC: 162394-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 15227/2026

ओम तिवारी उर्फ उमंग तिवारी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: पीयूष कुमार पाठक, प्रत्यूष कुमार पाठक, शांतनु पांडेय
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत

याचिकाकर्ता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 94 के अंतर्गत पारित नोटिस दिनांक 26.02.2026 और 07.06.2026 को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने उक्त नोटिसों का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है।

उपरोक्त नोटिसों में कोई क्षेत्राधिकार संबंधी दोष नहीं है। पुलिस प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्त नोटिस आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 20036 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2025 के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के प्रकाश में जारी किए गए हैं, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:-

"1. इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 10.9.2025 के अनुपालन में, विवेचना अधिकारी श्री अनिल कुमार वर्मा, एस.एच.ओ., थाना साइबर अपराध, कमिश्नरेट प्रयागराज इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं और उनके द्वारा यह सूचित किया गया है कि अब वाद

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की विवेचना सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 66, 66ई, 67 और 74 के संदर्भ में की जा रही है और विवेचना एजेंसी, अर्थात् पुलिस अब बी.एन.एस. की धारा 351(4), 76, 87, 108 के अंतर्गत वाद की विवेचना नहीं कर रही है।

2. विवेचना अधिकारी श्री वर्मा की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है। उन्हें आगे वाद में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

4. यद्यपि इस रिट याचिका में थाना - साइबर क्राइम, जिला - प्रयागराज में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 351(4), 76, 87, 108 और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 66, 66ई, 67, 74 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 26 वर्ष 2025 के रूप में दिनांक 11.7.2025 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, लेकिन जब मामला सुनवाई के लिए लिया जाता है तो याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता अपने अनुतोष को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करने तक सीमित रखते हैं।

5. हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट का परिशीलन किया है, जो प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है और, इसलिए, **तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी, (2017) 2 एस.सी.सी. 779 और नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2021) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 315** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत एफ.आई.आर. को रद्द करने के लिए की गई प्रार्थना पर अन्यथा विचार नहीं किया जा सकता है।

6. हमारा विचार है कि किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्तमान वाद में उल्लिखित सभी अपराध 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय हैं, इसलिए, प्राधिकारियों को **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एस.सी.सी. 273** में प्रतिपादित सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विवेचना के निष्कर्ष तक याचिकाकर्ता को किसी भी तरीके से परेशान न करे। हालांकि, याचिकाकर्ता विवेचना में सहयोग करेगा।

9. तदनुसार, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।"

विद्वान ए.जी.ए. निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं कि एफ.आई.आर. याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध के किए जाने का खुलासा करती है। निर्देशों के आधार पर, विद्वान ए.जी.ए. का कथन है कि याचिकाकर्ता पुलिस विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पर किसी महिला की अश्लील तस्वीरें अपलोड करना समाज के लिए एक गंभीर खतरा है। विवेचना जारी है।

पुलिस प्राधिकारी विधि के अनुसार आगे की कार्यवाही करने के लिए दायी हैं।

रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत) (न्यायमूर्ति अजय भनोट)

4 अगस्त, 2026

करन